10रु. Rs.10 20रु. Rs.20

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2016 पुनरीक्षण निग - 3530 - I-16

कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल जैन (फौत)
बारिशान –
1. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. कन्हैयालाल
2. देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व. कन्हैयालाल
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. कन्हैयालाल
4. रविन्द्र पुत्र स्व. कन्हैयालाल
5. अरविंद कुमार पुत्र स्व. कन्हैयालाल

सभी निवासीगण इतवारा बाजार सागर
तह. व जिला सागर (म.प्र.)

.... आवेदकगण

Mukesh Bhargava Adv.

श्री मुकेश भार्गव एडवोकेट 6-10-16 द्वारा आज दि. ... को प्रस्तुत

6-10-16

मुकेश भार्गव 6-10-16 एडवोकेट ग्वालियर

208 / 06.x.16

विरूद्ध

कमोद पुत्र लक्ष्मण पटेल (मृत)
बारिशान –
1. श्रीमती फूलरानी पत्नी स्व. कमोद पटेल
2. प्रताप पुत्र स्व. कमोद पटेल
3. डेलन पुत्र स्व. कमोद पटेल
4. कौशल पुत्र स्व. कमोद पटेल
5. हरी बाई पुत्री स्व. कमोद पटेल

निवासीगण ग्राम घूघर तह. व जिला सागर

.... अनावेदकगण

दुष्यन्त सिंह ADV

न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा प्र.कं. 186/अ/6–अ/15–16 में पारित आदेश दिनांक 22.8.2016 के वियद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3530-एक/2016 जिला सागर कन्हैयालाल विरूद्ध कम्मोद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक कन्हैयालाल फौत के वारिसान राजेन्द्र व अन्य के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक कम्मोद के अभिभाषक श्री दुष्यंत सिंह उपस्थित । उन्हें दिनांक 09-01-2019 को सुना गया । 3. आवेदकगण के द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक 186/अ-6-अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 22-08-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । उक्त आदेश से अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी सागर का आदेश दिनांक 10-11-2015 यथावत रखा । 4. प्रकरण के तथ्य प्रकार है कि आवेदक कन्हैयालाल वल्द हीरालाल जैन सा. वीरपुरा, हाल मुकाम केशवगंज वार्ड सागर ने ग्राम वीरपुरा प.ह.नं. 147 में स्थित भूमि बंदोवस्त पूर्व ख.नं. 28,29/3 का रकवा 0.83 हैक्टेयर अर्थात् 2.07 एकड़ अभिलेख में दर्ज होने से अनावेदक का रकवा 1.09 है. अधिक हो जाने के कारण अपने खसरा नंबरों में दुरस्ती किये जाने बावत् आवेदन पत्र सह-पत्रों सहित नायब तहसीलदार सुरखी के न्यायालय में पेश किया गया।" 5. नायब तहसीलदार के सामने निम्न तथ्य आये । a) बंदोबस्त पूर्व अनावेदक का ख.नं. 28, 29/3 का रकबा 0.98 हैक्टेयर था बंदोबस्त उपरांत ख.नं. 213 रकबा 0.83 हैक्टेयर बनाया गया। b) वर्ष 1989-90 मिसल में ख.नं. 28, 29/3 का रकबा 0.83 हैक्टेयर दर्शाया गया है इससे स्पष्ट है कि अनावेदक का रकवा 0.83 एकड़ रकबा ही था । हल्का पटवारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में पुराना ख.नं. 28, 29/3 का नया ख.नं. 213 का निर्माण हुआ है । बंदोबस्त पूर्व उक्त ख.नं. 0.39 हैक्टेयर है तथा बंदोबस्त उपरांत नवीन	

01.2.19

अभिलेख में 0.83 हैक्टेयर है इसमें 0.44 है. की वृद्धि हुई है । जो ख.नं. 212 से प्रभावित होती है । किन्तु 203 का रकबा पूर्ण दर्ज है । ख.नं. 203 आवेदक कन्हैयालाल के खेत की सीमायें ख.नं. 213 से नहीं लगी है, परन्तु आवेदक द्वारा प्रस्तुत बंदोबस्त पूर्व नक्शा की नकल में ख.नं. 19/2, 27/3, 29/1, 28, 29/3 की सीमायें लगी हुई दर्शायी गयी है । बंदोबस्त उपरांत नक्शे में ख.नं. 213 से 201, 203 एवं 210 से लगी हुई दर्शायी गई है । हल्का पटवारी द्वारा ख.नं. 212 प्रभावित होता बताया गया है जो गलत है ।

c) आवेदक द्वारा पंच बंटवारा पेश किया गया है वह किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है इसलिये उक्त बंटवारा मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

d) अनावेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित उत्तर में आंशिक रूप से स्वीकार किया गया कि अनावेदक का रकबा 0.83 हैक्टेयर है तथा अनावेदक द्वारा क्रय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31-12-1965 की छायाप्रति में उल्लेखित ख.नं. 46, 45 रकबा 1.24 एकड़ एवं पट्टे में प्राप्त भूमि को समाहित कर अनावेदक का एक खसरा तथा रकबा 0.83 हैक्टेयर. बनाया गया है । परंतु अनावेदक द्वारा ख.नं. 46, 45 रकबा 1.24 एकड़ भूमि राजस्व में दर्ज हुई थी अथवा नहीं इसका कोई प्रमाण अनावेदक द्वारा प्रकरण में संलग्न नहीं किया गया केवल अपने लिखित उत्तर में ही लेख किया गया है ।इससे स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत बैनामा दिनांक 31-12-1965 राजस्व अभिलेख में दर्ज ही नहीं है ।

2/4

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आवेदक कन्हैयालाल वल्द हीरालाल जैन का रकबा 0.44 हैक्टेयर कम हो गया है । जिसकी दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है । अत: म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 89 के तहत अनावेदक कमोद वल्द लक्ष्मन सा. घूघर प.ह.नं. 147 में स्थित भूमि ख.नं. 213 रकवा 0.83 हैक्टेयर मे से 0.44 है. भूमि आवेदक कन्हैयालाल वल्द हीरालाल सा. वीरपुरा के नाम दर्ज किय जाने का तथा शेष रकवा 0.39 हैक्टेयर भूमि अनावेदक कमोद पिता लक्ष्मन पटेल के नाम यथावत रखे जाने का आदेश दिया जाता है ।

01/2019

6. अनुविभागीय अधिकारी जिला सागर के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में पारित आदेश दिनांक 10-11-2015 में निम्नानुसार टीप अंकित की गई है ।

" प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बन्दोवस्त के पूर्व अभिलेख में बिना किसी तथ्यों के आधार पर ख. नं. 213 का रकवा कम करते हुये कन्हैयालालको 0.44 हैक्टेयर भूमि देते हुये अभिलेख दुरूस्ती के आदेश पारित किये गये है इसी आधार पर नक्शे की भी दुरूस्ती की जा रही है नियमत: बन्दोवस्त के नक्शे दुरूस्तीकरने की अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को नही है ।"

नक्शे के संबंध में म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 107(5) अवलोकनीय है - ऐसा नक्शा (राजस्व सर्वेक्षण) के समय बंदोबस्त अधिकारी द्वारा और समस्त अन्य समयोंपर तथा समस्त अन्य परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा यथास्थिति तैयार या पुनरीक्षित किया जायेगा । इससे यह स्पष्ट है कि बंदोबस्त नक्शे में हुई त्रुटि की सुधार करने की अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को न होकर कलेक्टर न्यायालय का है । संहिता की धारा 89 के तहत बंदोबस्त नक्शे को नहीं सुधारा जा सकता है जैसा कि दृष्टांत में प्रतिपादित किया गया है । (जगदीश विरूद्ध भूखन 1976 रा.नि. 167)

7. उपरोक्त टीप के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निम्नानुसार आदेश देते हुए अपील स्वीकार की गई है ।

" मैं उपरोक्त विस्तृत विवेचना के आधार पर एवं मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 80 एवं 107 के अध्याधीन रहते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 7-अ-6(अ)/2003-04 आदेश दिनांक 11.09.2007 विधिसम्मत न होने के कारण अपास्त करता हूँ अपीलार्थी कमोद तनय लक्ष्मण पटैल (मृत) के वारिसानगणों (अ) श्रीमति फूलरानी उम्र 55 वर्ष पत्नि स्व. कमोद पटैल (ब) प्रताप उम्र 35 वर्ष बल्द स्व. कमोद पटैल (स) डेलन उम्र 33 वर्ष बल्द स्व. कमोद पटैल (द) कौशल उम्र 30 वर्ष स्व. कमोद पटैल, (इ) हरीबाई उम्र 20 वर्ष पुत्री स्व. कमोद पटैल, निवासी-ग्राम घूघर, तहसील व जिला सागर द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।"

01/2/19

8. अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा अपने द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 22-08-2016 में निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है ।

" प्रकरण में अपील मेमो, प्रति-अपीलार्थी अधिवक्ता तर्क व इस न्यायालय के रिकार्ड तथा अधीनस्थ न्यायालय रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार सागर वृत्त सुरखी ने अपने

आदेश दिनांक 11-09-2007 में मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धरा –89 के तहत रकवा दुरूस्ती का आदेश पारित करते हुए अभिलेख दुरूस्त करने का भी आदेश दिया है। अधिलेख दुरूस्ती में नक्शा दुरूस्ती भी शामिल है जबकि मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा – 107 में बन्दोवस्त के पश्चात् नक्शा दुरूस्ती का अधिकार कलेक्टर को है। नायब तहसीलदार सुरखी का आदेश क्षेत्राधिकार विहीन होने से अनुविभागीय अधिकारी सागर ने अपने आदेश दिनांक 10-11-2015 के द्वारा निरस्त कर दिया । उनकायह आदेश विधिसंगत होने से यथावत रखा जाताहै। अपील दिनांक 01-12-2015 अस्वीकार की जाती है।"

9. उपरोक्त आदेश से यह स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने अपने द्वितीय अपील में पारित आदेश में यह माना है कि नायब तहसीलदार को धारा 89 में अभिलेख दुरूस्त करने का आदेश देने का अधिकार तो है लेकिन नक्शा दुरूस्ती करने का अधिकार धारा 107 में कलेक्टर को है । अपर आयुक्त ने रकबा में कमी पेशी के संबंध में कोई निर्णय नहीं निकाला है ।

4/4

10. अत: प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को समुचित अवसर देते हुए अभिलेखों की विश्वसनीयता की जांच करते हुए उभय पक्ष के रकबे के संबंध में निर्णय करें । उक्त निर्णय के उपरांत संबंधित पक्षकार कलेक्टर के यहां नक्शा दुरूस्ती हेतु आवेदन दे सकेगें ।

(आर.के. जैन) 01.2.19
सदस्य